एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2408/2003

16.3.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता याची।
सुश्री मुमताज, अधिवक्ता अयाचीगण।

इस रिट याचिका में याची ने अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 1, किशनगढवास के आदेश दिनांक 11.2.2003 को चुनौती दी है। उक्त आदेश के तहत याची द्वारा दायर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें उसने अयाची की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान कृषि ऋण निवारण अधिनियम के पोषणीय नहीं होने की आपत्ति की थी, निरस्त कर दिया था। उक्त न्यायालय ने याची का प्रार्थनापत्र इस आदेश के साथ निरस्त कर दिया कि प्रथम दृष्टया यह तो स्पष्ट है कि ऋणी बृजमोहन खेती का कार्य करता है किन्तु साथ ही यह भी काबिले गौर है कि प्रोमेसरी नोट में बृजमोहनलाल का धन्धा व्यापार लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में ऋणी बृजमोहन मुख्यत: कृषि के आधार पर ही जीवन यापन करता है अथवा उसका मुख्य धन्धा व्यापार है यह प्रश्न साक्ष्य तलब है।

याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह तथ्य स्वयं अयाची संख्या 3 के द्वारा विवादित नहीं था कि उसका मुख्य धन्धा व्यापार है। ऐसा उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र तथा उसके अनुलग्नकों से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अयाची संख्या 3 के प्रार्थनापत्र को चलाये रखना मात्र राजस्थान कृषि ऋण निवारण न्यायालय की विशेष प्रक्रिया के प्रावधानों के दुरुपयोग की मंशा को ही दर्शाता है। उनका यह भी कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 11.2.2003 को पारित किया गया था तथा अभी तक भी उक्त मामले का अंतिम निस्तारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए मैं अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 1, किशनगढवास जिला अलवर को यह निर्देश देना उचित समझता हूं कि जो बिन्दु याची ने उठाये हैं उनका निस्तारण प्रारंभिक बिन्दु के तौर पर मूल मामले के निस्तारण से पूर्व ही शीघ्रातिशीघ्र करे तथा ऐसे बिन्दुओं पर अपना निर्णय इस आदेश की प्रतिलिपि उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने से तीन माह की अवधि में आवश्यक रुप से कर दे। यह याचिका इसी अनुसार निर्णीत की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति